भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या: 273
गुरुवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म का विस्तार

***273. श्री राहुल सिंह लोधीः**

श्री खगेन मुर्मुः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के और अधिक विमानपत्तनों पर डिजी यात्रा प्लेटफार्म का विस्तार करने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सहायता हेतु क्षेत्रीय भाषाओं और अन्य यात्री अनुकूल सुविधाओं सहित इस प्लेटफॉर्म की सुलभता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने यात्रियों की सुविधा और विमानपत्तन प्रचालनों पर डिजी यात्रा के पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) डिजी यात्रा पारितंत्र के अंतर्गत डाटा की निजता, साइबर सुरक्षा और सुरक्षित बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म का विस्तार" के संबंध में श्री राहुल सिंह लोधी और श्री खगेन मुर्मु द्वारा पूछे गए दिनांक 06.08.2026 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 273 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): सरकार ने डिजी यात्रा इकोसिस्टम का चरणबद्ध विस्तार किया है। दिसंबर 2022 में 3 हवाईअड्डों पर शुरू की गई डिजी यात्रा अब 39 हवाईअड्डों पर उपलब्ध है। डिजी यात्रा को सुलभता, समावेशिता और उपयोग में सहजता पर ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिक-केंद्रित प्लेटफॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है। डिजी यात्रा में कई यात्री-अनुकूल विशेषताएं उपलब्ध हैं, जिनमें डिजी लॉकर के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस-आधारित नामांकन और बहुभाषीय सपोर्ट शामिल हैं। डिजी यात्रा ऐप, अंग्रेजी के अलावा 11 भारतीय भाषाओं नामतः हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, उड़िया, असमिया, संस्कृत और मलयालम भाषाओं से समर्थित है। इसके अलावा, ग्राहक सहायता चैनलों और हवाईअड्डों पर बातचीत के माध्यम से प्राप्त यात्रियों के फीडबैक के आधार पर डिजी यात्रा इकोसिस्टम में निरंतर सुधार किया जाता है।

डिजी यात्रा मैनुअल सत्यापन की तुलना में यात्रियों की निर्बाध, परेशानी मुक्त और तेज प्रोसेसिंग प्रदान करती है, जिससे हवाईअड्डों पर विभिन्न चेक प्वाइंट पर यात्रियों के लगभग 50 प्रतिशत समय की बचत होती है, जिससे हवाईअड्डों पर भीड़भाड़ को कम करने में सहायता मिलती है। इसके लॉन्च होने के बाद से, डिजी यात्रा ऐप को 2.5 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया गया है और यात्रियों द्वारा डिजी यात्रा सक्षम हवाईअड्डों से यात्रा करने के लिए 10.75 करोड़ से अधिक बार इसका उपयोग किया गया है।

डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम (डीवाईसीई) गोपनीयता के मूलभूत सिद्धांतों पर बनाया गया है। डिजी यात्रा ऐप 'प्राइवेसी बाय डिज़ाइन' के सिद्धांत पर आधारित है और इसमें यात्री के व्यक्तिगत पहचान योग्य सूचना (पीआईआई) डाटा का कोई केंद्रीय संग्रहण नहीं होता, जिससे डाटा की हानि, चोरी और लीकेज की समस्याएँ कम हो जाती हैं। सभी यात्री डाटा एन्क्रिप्टिड होता है और यात्री के स्मार्टफोन वॉलेट में संग्रहित किया जाता है और केवल एक सीमित समय अवधि के लिए मूल हवाईअड्डे, जहां यात्री की आईडी को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है, के साथ साझा किया जाता है। उड़ान के निर्धारित प्रस्थान समय के 24 घंटों के भीतर डाटा को सिस्टम से हटा दिया जाता है।

डिजी यात्रा, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करती है। इस प्लेटफ़ॉर्म की समग्र सुरक्षा स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए नियमित सुरक्षा आकलन, भेद्यता आकलन और ऑडिट किए जाते हैं। ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि डिजी यात्रा निर्बाध यात्री प्रोसेसिंग के लिए एक सुरक्षित, गोपनीयता का संरक्षण करने वाला और विश्वसनीय डिजिटल पहचान का प्लेटफॉर्म बना रहे।
